प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 32/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

भगवान सिंह निवासी: 78 हरिमार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर 302006

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 15/04/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रस्तुत कर की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/32/24/404–05 दिनांक 21.03.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील 32/2023/255 दिनांक 26.03.2024 से निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना स्थापना अनुभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 04.01.2024 एवं जिला रसद अधिकारी को पत्रांक 27–29 दिनांक 04.01.2024 धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया गया, स्थापना अनुभाग से प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 86 दिनांक 23.01.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना प्रार्थी को भी भिजवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनांक 01.02.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 06.02.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में प्रार्थी द्वारा संबंधित पत्रावली की नोटशीट की प्रतियां एवं उपलब्ध कराई गई प्रतियो पर मोहर(सील) लगी लगी हुई है किन्तु उक्त प्रतियों पर लोक सूचना अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप पत्र के क्रम में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 145 दिनांक 09.02.2024 को पुनः स्थापना अनुभाग को पत्र लिखा गया जिसके क्रम में स्थापना अनुभाग द्वारा पत्रांक 120 दिनांक 13.02.2024 में बिन्दु संख्या 1 में

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)